

[23 February, 2000]

RAJYA SABHA

RAJYA SABHA

Wednesday the 23rd February, 2000/4 Phalguna, 1921 (Saka)

The House met at fifty -seven minutes past twelve of the clock.

Mr. Chairman in the Chair

The National Anthem "Jana Gana mana ", was played

MEMBERS SWORN

1. Ms. Lata Mangeshkar (Nominated)
2. Dr. A.R. Kidwai (Delhi)
3. Dr. Karan Singh (Delhi)
4. Shri N. Siva (Tamil Nadu)
5. Shri R.Subbian (Tamil Nadu)

PRESIDENT'S ADDRESS

Laid on the Table

SECRETARY-GENERAL : Sir, I beg to lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the President's Address to both the Houses of Parliament assembled together on the 23rd February 2000.

[Text of the Address delivered by the President (Shri K. R. Narayanan)]

Honourable Members,

It gives me great pleasure to welcome you to the first session of Parliament in the year 2000. I felicitate the Members and extend to all of you my best wishes for the successful completion of the budgetary and legislative business that lies ahead.

Last month India completed fifty years as a republic. It was a proud moment in the history of this ancient civilization, which re-emerged as a free

and democratic nation in the modern era. For all of us, the last fifty years the Golden Jubilee of our Republic is, hence, an occasion for both celebration and reflection. The Golden Jubilee of our Republic is, hence, an occasion for both celebration and reflection.

If the global march of democracy was the hallmark of the 20th Century, India has won worthy laurels for not only being the largest democracy in the world, but also zealously reserving it against all odds. The entire world looks to India with hope and expectation. Our founding fathers did their duty by giving us a great Republican Constitution. It is now our responsibility to transform our democracy into an effective instrument for the economic social and cultural development of every Indian. As the Father of the Nation always exhorted us during our struggle for freedom, we must ensure that the first claim on the fruits of development belongs to the poor and the weak.

The Constitution, which India adopted fifty years ago, has served us well. It has been a reliable guarantor of parliamentary democracy, secularism and fundamental rights, which all of us cherish. It has also inspired the spread of democratic consciousness in our society, empowering dalits, adivasis, backward classes and women and making our system of governance more participative and progressive. While keeping the basic structure and salient features of the Constitution inviolate, it has, however, become necessary to examine the experience of the past fifty years to better achieve the ideals enshrined in the Constitution. The Government has, therefore, set up a broad-based Constitution Review Commission. The recommendations of this Commission will be presented before Parliament, which is the supreme decision-making body in Indian democracy.

India has undoubtedly had many spectacular achievements in the past five decades. There is no other experiment in human history where a billion people, belonging to so many different traditions, are living and striving together for a better life without being denied their rights and freedoms. We cannot, however, be satisfied with this alone. As the experience of the many newly-independent and developing nations has shown, fifty years is a long time to achieve all round progress for all. If the first half-century of our Republic makes any demand on us, it is simply this: we must lose no more time to eradicate mass poverty, remove illiteracy and assure basic

minimum services to all our fellow citizens. While accomplishing this historic task, we must simultaneously strengthen social justice, promote gender justice, remove regional imbalances and bridge the rural-urban divide.

India cannot achieve the strength and prosperity that we all desire, and that our country is capable of, if vast areas and large sections of our population remain deprived and poor. Faster economic growth is a precondition for removing social and regional imbalances in development. The economic reforms started in the beginning of the last decade, with the express intention of accelerating economic growth, were a historical necessity. The shortcomings that have crept into our development process over the decades, needed to be removed. It is a matter of pride and satisfaction that our country has implemented these reforms without social unrest and with a high degree of political consensus. These reforms are now yielding desired results in several areas. The sustainable rate of growth of our economy has increased. Our industry and financial system have become stronger and more competitive.

The Government is committed to accelerating the pace of economic reforms and to broadening their scope. At the same time, we shall make conscious and concerted efforts to bring the fruits of economic reforms to those regions and communities that have so far not benefited from them. The approach to India's economic development may have changed in the past ten years, but the goals of equity and social justice have not. We shall re-double our efforts to ensure that the poor and the deprived have an even greater stake in economic reforms than at present. We realize that this is essential for mobilizing people's enthusiastic participation in the development process.

The "Agenda for a Proud, Prosperous India", which is the common policy document of the Government of the National Democratic Alliance, provides the framework for faster development with equity and employment. The Government's record of speeding up the work of taking decisions on policy issues and the passage of pending legislation shows its determination to fulfil the promises made in this Agenda. The Government will continue to vigorously pursue a coherent plan of economic reforms. These reforms will cover agriculture, industry, public enterprises, fiscal consolidation and devolution, tax reform, financial sector reform and foreign investment Policies. Most importantly, they will also cover policies for improving the performance of key infrastructure sectors - namely, power, roads, railways,

ports, civil aviation, telecommunications and petroleum.

We are primarily a rural nation and most of our people depend on agriculture for their livelihood. Therefore, development of agriculture, particularly in the rainfed and drought-prone areas where poverty is extreme, shall be accorded high priority. This would call for substantial capital formation in agriculture and investment in the areas where productivity has been relatively low. As the agriculture sector still employs about two-thirds of our total workforce, greater investment in agriculture, including agri-businesses, would be mobilized to enhance employment opportunities and create greater prosperity in rural areas. The Government will shortly finalize the National Agriculture Policy to address these issues.

At present, the programmes relating to conservation, development, and management of land resources are scattered in different Ministries and Departments in the Central Government. There is an imperative need to put in place an integrated mechanism capable of responding effectively to the challenges of managing our scarce land resources - especially those arising from globalization, liberalization and privatization. The Government will therefore, bring all the programmes and schemes as well as the institutional infrastructure relating to land in rural areas, under the control of the newly created Department of Land Resources in the Ministry of Rural Development.

Special programmes for the generation of productive wage employment in the rural areas, especially for creating permanent infrastructure assets, and self-employment opportunities for the unemployed youth will be given greater thrust. The Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojana, the Jawahar Gram Samridhi Yojana and the restructured Employment Assurance Scheme will be vigorously implemented and closely monitored.

The process of urbanization has led to a rapid rise in the proportion of Indians living in cities and towns. Sadly, the rate of growth of urban infrastructure and civic amenities has not matched the explosion of our urban population. The Government realizes that urban renewal is critical to the emergence of a new and resurgent India. This calls for a better coordination among the Centre, States and municipal authorities to effectively implement the policies and programmes on urban employment, housing construction, transportation and other utilities. The Government will facilitate increased public and private investment in the development of physical and social

[23 February, 2000]

RAJYA SABHA

infrastructure, with an emphasis on improving the living conditions of the urban poor. It will also step up efforts to promote good municipal governance.

Our nation's future lies with our children and youth. The Government will soon set up a National Commission on children to promote and channel all the efforts in the Government and non-Government sectors to achieve their all-round development and to unleash their creative energies both now and when they grow up. All existing programmes for sports and youth affairs will be reviewed and re-activated to give effect to our resolve to encourage physical, social and cultural development of our youngmen and women.

A decision has been taken to launch Sarva Shiksha Abhiyan to ensure that every child in the age group of six to fourteen goes to a school, or an Education Guarantee Centre, or a "Back to School Camp" by 2003. We shall intensify efforts to involve the non-governmental sector in higher and technical education. The Government proposes to come out with a policy that would fully incorporate non-governmental efforts within the national endeavour to provide Education For All.

Women constitute half of the Indian populations but their status in our society is poor. They are largely excluded from decision-making in public life. No nation can progress unless its women enjoy good health, are literate and are equal partners with men in the socio-economic and political processes. Our Constitution guarantees equality and non-discrimination between men and women and we are committed to achieving this objective. The Constitution (85th Amendment) Bill, 1999, seeking to provide reservation of not less than one third of the seats for women in the Lok Sabha and in Legislative Assemblies of States, was introduced in the Lok Sabha during the last session. The Department of Women and Child Development will also soon finalize a National Policy for Empowerment of Women, which aims to mainstream gender into laws, policies, programmes and budgetary allocations of the Government. The Indira Mahila Yojana will be made more effective and expanded to 450 more blocks.

India has one of the largest populations of older people in the world. In recent times, there has been a withering away of the joint family system, which has exposed elderly people to emotional neglect and a lack of physical support. The Government has formulated a National Policy on Older Persons

and has established a National Council for Older Persons to focus on problems faced by our senior citizens. An Expert Committee has recently submitted a report on a proposed pension scheme for old age security, which is being examined by the Government. A decision will be taken on this scheme shortly.

When I last addressed both Houses of Parliament on October 25, 1999, I had taken the opportunity to lay before you the medium-term economic agenda of the Government. Since then, the economic data suggests a distinct upturn in the economy. Economic growth in 1999-2000 is expected to be around six per cent. Inflation has also remained well under control during the current fiscal 1999-2000. Our foreign currency reserves at over US \$ 32 billion are also comfortable. There has been a general upward trend in stock indices, primarily due to the revival in the industrial sector. To build on these clear economic strengths, we must seize the opportunity to deepen and accelerate the reform process.

I am happy to say that the Government has begun to implement the medium-term economic agenda outlined by me in my last address to Parliament. I will briefly dwell on some of these issues:-

- (a) The Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Ordinance, 2000 was promulgated to strengthen the TRAI. This will remove many hurdles in the path of speedy development of telecom services, increase investor confidence and create a level playing field between public and private operators. The corresponding Bill will be brought before Parliament in its current session.
- (b) A Group of Experts has been constituted to recommend a new legislation reflecting the phenomenon of the Convergence of IT, Telecom and TV in place of the Indian Telegraph Act, 1885.
- (c) -The Government has already initiated a major programme of road construction to be called the National Highway Development Project consisting of the Golden Quadrilateral and the East-West, North-South Corridors costing Rs. 54,000 crore. We will ensure the speedy implementation of this vitally needed highway network.
- (d) The Government is carrying forward the restructuring and

reform process in the power sector. Emphasis has been given on development of hydel power, particularly in the North-Eastern parts of the country. The national power grid will be strengthened to facilitate efficient inter-regional power flows.

- (e) In the petroleum sector, under the New Exploration Licensing Policy, 25 blocks have been awarded in a record time, thereby accelerating domestic exploration efforts. The Group on India Hydrocarbon Vision-2025 has also finalized its recommendations and the Government will initiate early action to implement them.
- (f) A Bill to amend the Coal Mines (Nationalization) Act, 1973 will be introduced in the current session of Parliament to allow Indian companies in the private sector to undertake coal mining.
- (g) It has been decided to enable private participation in the airport sector through long-term leasing of airports. The existing airports of Delhi, Mumbai, Chennai and Calcutta will be given out on long-term lease basis while a new international airport at Bangalore will be developed as a greenfield venture with private sector participation. This will go a long way in improving the airport infrastructure and the functioning of our airports to world class levels.
- (h) The Government has also decided to take innovative steps to bring about a major improvement in the working of our ports and to develop other efficient and modern port facilities with greater private sector participation.
- (i) The Information Technology Bill, 1999 to promote E-Commerce was introduced in the Lok Sabha in its last session.
- (i) A National Venture Capital Fund of Rs. 100 crore for promoting new Information Technology businesses by promising entrepreneurs has been launched. Guidelines to allow acquisition of foreign companies abroad by Indian IT companies have been liberalized. To accelerate the growth of high-speed Internet services in the country, a liberal

policy for setting up international gateways and use of foreign Satellites for greater bandwidth has been put in place. Further measures will soon be taken to promote the spread of the Internet and telecom services, especially in rural and backward areas.

- (k) The Ministry of Information Technology is taking further initiatives to promote the development of the IT industry in the country. These include the proposal to establish the "India IT and Software Brand Equity Fund", facilitate greater usage of IT for increasing productivity in small and medium enterprises, developing Indian initiatives in E-Commerce and setting up IT-enabled services and distance education programmes.
- (l) The Insurance Regulation and Development Authority Act was passed by Parliament in its last session. This will enable participation by private Indian companies in the insurance sector leading to better service to customers, as well as mobilization of larger long-term investment for faster economic development.
- (m) The Government has reviewed and recast the Foreign Direct Investment regime, ensuring an automatic route for FDI clearances except in a small list of carefully chosen areas. This will bring in greater transparency, cut delays and create an enabling framework to ensure FDI inflow of at least \$ 10 billion a year.
- (n) The Debt Recovery Tribunal Act has been amended by an Ordinance. It is one of the crucial measures underpinning financial sector reforms. The corresponding Bill for replacement of the Ordinance by an Act will be introduced in Parliament in the current session.
- (o) The Second Labour Commission has been constituted to suggest changes in various labour laws in order to achieve the goals of labour welfare, generation of additional employment, higher investment and accelerated industrial growth.
- (p) A major milestone in tax reforms was achieved with the

introduction of a uniform rate of sales tax throughout the country from January 1, 2000. This was made possible by close co-operation between the Centre and the States. As a progressive step towards further tax rationalisation, the States have also decided to move over to a Value-Added Tax (VAT) regime with effect from April I, 2001.

- (q) A large number of outdated or inessential laws and regulations have been removed from the Statute book. This is a part of the Government's continuing effort to speed up much-needed legal reforms.

However, the growing fiscal deficit continues to be an area of considerable concern. This is undoubtedly the most challenging macro-economic management problem faced by us. The deficit reduces public investment, crowds out private investment, raises interest rates and generates inflationary pressure. The burden of interest payments continues to be large at above 4 per cent of GDP, accounting for about two thirds of tax revenue of the Central Government net of States' share. As the interest burden on Government borrowing increases, it limits the ability of the Government to expand health and education services and anti-poverty programmes. Subsidies on non-merit goods which are currently very high, have to be brought down and phased out.

For India to sustain accelerated growth with high employment coupled with modest inflation, the growing fiscal deficit needs to be contained. We have to adopt measures to curb the rising trend of Non-Plan Expenditure. These require difficult decisions relating to the quality of Government expenditure, downsizing the Government, recovery of economic cost for goods and services and greater austerity in Government spending. The programme of disinvestment and restructuring of Public Sector Undertakings also needs to be accelerated. Our tax system must be modernized for improving the Tax-to-GDP ratio. If we achieve fiscal consolidation, then given our stable macro framework, India can truly hope to achieve growth rates of well over seven percent in the coming years. If sacrifices have to be made for achieving this challenging goal, they are well-worth making because the long-term rewards of restructuring will benefit all Indians and will far outweigh the temporary costs.

The financial condition of the States is also very worrisome. State Government finances have shown signs of rapid deterioration in the nineties. The year 1998-99 witnessed a very high gross fiscal deficit of States amounting to more than Rs. 75,000 crores, touching a level of 4.3 per cent of GDP. This is, indeed, an unsustainable situation. The deteriorating trend in the fiscal position of State Governments needs to be urgently reversed. The Central Government has, therefore, initiated necessary measures in consultation with the States, to seek policy reforms aimed at fiscal correction and consolidation to bring about long term sustainability of the fiscal position of the States.

The Government is committed to the speedy economic development of the North-Eastern States. The North-Eastern Council is being expanded to include Sikkim and we shall strive to make it an effective agency for accelerated development of these States. In a meeting last month at Shilong, the Prime Minister, accompanied by the Home Minister, Defence Minister, Finance Minister and the Deputy Chairman of the Planning Commission, reviewed development and security issues with the Governors and Chief Ministers of the North-Eastern States and Sikkim. All assistance is being provided to those North-Eastern States that are affected by terrorism and anti-social activities.

The Government has announced an ambitious programme of over Rs. 10,200 crores for the socio-economic development of the North-Eastern States and Sikkim. This programme includes new initiatives in industry, health, education and security. It will also give a major impetus to infrastructure development in the region, especially power, roads, railways, airports and telecommunications. An important objective of this initiative is to create large-scale local employment. Trade with neighbouring countries is also going to be a thrust area for development of this region.

The super-cyclone that struck Orissa in end October caused the death of thousands of people and devastated the social and economic life of a large section of the State's population. The entire country participated generously in supplementing the Government's efforts to mobilize relief and rehabilitation for the affected people. We express our appreciation for the excellent work done by the armed and paramilitary forces, the meteorological department, the Railways, port authorities, other Government departments

and agencies like the Food Corporation of India, the relief teams sent by State Governments as well as non-governmental and charitable organizations. To minimize the effects of natural calamities, the Government has set up a high-powered committee to prepare a Natural Disaster Management Plan. This will review existing arrangements for preparedness for natural disasters and their mitigation. It will recommend measures for strengthening of organizational structures and formulate a comprehensive model plan for natural disaster management at the national, State and district levels.

In the global context we shall continue to work for the establishment of a rule based, non-discriminatory multilateral trading system, which is fair and equitable to all nations. As a founder member of the GATT and the WTO, India has been an active participant in all the previous international trade negotiations and in all the three WTO ministerial meetings. India has always pursued its mission for greater equity and symmetry in trade relations and for avoidance of linkage of trade with extraneous issues. Economic integration cannot advance if the interests of the poor are ignored. As a developing country, India is sensitizing other member nations to this reality. We would continue to persevere for equitable implementation of the provisions of the Uruguay Round negotiations.

In the months following the military coup in Pakistan, there has been a marked increase in Pakistan-sponsored cross-border terrorism, targeted especially at our security forces. There has also been an increase in Pakistani firing across the border. These developments underline the need for constant vigil by our defence forces. However, the threat of terrorist attacks is one that affects all Indian citizens. We must, as a people, become more security-conscious in the face of the unremitting terror campaign against our country. For its part, the Government is fully alert to all threats to India's external and internal security. We are prepared to meet any challenge to our territorial integrity and to our open, democratic way of life.

I salute the brave Jawans and officers of the Indian Army who are standing guard along the LoC in the Kargil and other sectors, far from their families and loved ones. It is a tribute to the courage, determination and dedication of our forces that they have withstood freezing temperatures of minus 40 degrees Celsius and below and the hardship of patrolling snow-bound heights. It is due to the valour and skill of our soldiers that our frontiers are secure from enemy forces.

The Subrahmanyam Committee, appointed by the Government to inquire into the events and circumstances that formed the backdrop to Pakistan's armed incursion into Kargil and other parts of the LoC, has submitted its report. This will be tabled in Parliament during this session. The Government is committed to take all necessary follow-up measures after a thorough scrutiny of the committee's recommendations.

Backing up our soldiers are our defence scientists and defence production units. I am happy to inform the Honourable Members that, since I last addressed both Houses of Parliament, our defence scientists have added two major successes to their list of achievements. The short-range, quick-reaction-time surface-to-air missile, Trishul, has been successfully tested. The remote-controlled Nishant has been successfully flight tested. Our defence production units have proved their capability to produce sophisticated defence equipment. Production in ordnance factories in the first nine months has been higher by 33 per cent, compared to the corresponding period last year.

The overall law and order situation in the country has remained satisfactory except in certain areas affected by Pakistan-sponsored terrorist and separatist activities. Terrorist violence has been most pronounced in Jammu and Kashmir, especially after Pakistan's defeat in Kargil and the military coup in Islamabad. Government, both at the Centre and in the State, has met the challenge posed by Pakistan-backed terrorists and foreign mercenaries with determination. We are continuing with our four-pronged strategy to counter terrorist and separatist violence in Jammu and Kashmir by deepening of the democratic process, accelerating economic development, isolating foreign mercenaries and terrorists and playing a pro-active role to neutralize them. Apart from strengthening and modernizing the Jammu and Kashmir police, Government has been reimbursing the State's security related expenditure and providing financial support over and above the normal Plan assistance. I acknowledge the invaluable contribution of our armed forces, paramilitary forces and police personnel in combating terrorism and extremism in Jammu and Kashmir and some other parts of the country.

The Government is fully committed to preserving and further strengthening the secular ethos of our country. Communal harmony in the country has improved remarkably in the past few years. The last two years have been largely free of communal violence. In 1999, this trend gathered

[23 February, 2000]

RAJYA SABHA

speed with the number of communal incidents declining by 10 per cent, the number of people killed by 32 percent and the number of injured by 11 per cent.

The Government stands by its promise to create the States of Uttaranchal, Jharkhand, and Chhattisgarh. Bills for this purpose are being referred to the concerned State legislatures for their views.

The Inter-State Council has been reconstituted. Based on the experience of its working in the past, the Government will make it an effective platform for further harmonizing the relations between the Centre and the States and among the States themselves.

Our space programme continues to forge ahead in establishing systems that are crucial for telecommunications, broadcasting, meteorology, disaster warning and management of natural resources. India has established indigenous capability to launch Indian remote sensing satellites into the required polar sun-synchronous orbit. We are now well on our way to develop the geo-synchronous satellite launch vehicle. The INSAT system is one of the largest domestic satellite systems in the world and the next satellite in this system, INSAT -3B, is awaiting launch. It is scheduled to be commissioned in March-April 2000.

The Government continues to pursue its policy of harnessing nuclear energy for peaceful purposes for the welfare of the people. All nuclear plants have been operating smoothly and their average capacity factor has increased from 75 percent to 78 per cent. India's eleventh nuclear power reactor at Kaiga in Karnataka achieved first criticality on September 21, 1999 and has been connected to the grid. The twelfth nuclear power reactor at Rawatbhatta in Rajasthan achieved first criticality on December 24, 1999.

The Government is fully committed to support science and technology in the interests of national development and national security. However, a serious concern that needs addressing is that not enough young men and women are taking up careers in research and development. The Government is committed to reversing this trend by guaranteeing our highly talented young persons an attractive career profile, so that they can produce world-class scientific research and technological development while living and working in India.

The Government is committed to rapidly moving towards electronic governance, which will ensure better citizen-government interface and greater transparency. In order to increase accessibility to, and application of, computers, the Government has intensified efforts in developing and promoting software for popular applications in Indian languages. I am happy that many State Governments have also taken major steps to complement the Centre's thrust to make India a front-runner in the IT revolution.

India's foreign policy of Non-Alignment and peaceful co-existence is relevant to the multi-polar world of today. This is based on the principle of protecting our vital interests and promoting our national ideals. The Government continues to pursue the policy of continuously expanding and deepening its friendly, close, wide-ranging, and constructive relations with our neighbouring countries - Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, Maldives and Bhutan. Regular interaction with these countries has contributed to further strengthening of ties and mutual appreciation of each other's interests sensitivities and concerns.

However, Pakistan has shown no inclination to end its policy of aiding and abetting cross-border terrorism and its hostile anti-India propaganda. Pakistan's role in acts of terror has been recently underscored by the hijacking of the Indian Airlines flight from Kathmandu. Irrefutable evidence has been provided by the Government about the Pakistani origins of the hijackers as well as the role of Pakistani officials posted Kathmandu. We sincerely hope that Pakistan will reverse this policy of hostility towards India so that normal relations could be restored.

The return of peace and tranquillity in Afghanistan is important for the stability of our region. It is also necessary for curbing narco-terrorism. Above all, it is needed for the people of Afghanistan with whom we have age-old ties. It is only through the setting up of a broad-based Government in Kabul, truly representative of all ethnic groups, and the cessation of Pakistan's interference, that peace can be restored in Afghanistan.

We shall continue to deepen and broaden our relations with our extended neighbourhood of Central Asia, West Asia, the Gulf and the Asia-Pacific Region. We value our relations with our Asian neighbour China and we will commemorate the fiftieth anniversary of the establishment of diplomatic relations with China. In this context, I am looking forward to my State visit to China in May this year. We hope that the Middle East peace

process would reach a satisfactory conclusion. Our relations with Israel will continue to grow. India values her close and friendly relations with the European Union, as well as with the countries of East Europe, with whom our ties of traditional friendship have seen a new dynamism in recent years. We will further strengthen our friendship with African, Latin American and Caribbean countries.

India looks forward to the consolidation of her time-tested, comprehensive relations with the Russian Federation into a strategic partnership. We await a visit to India by the President of the Russian Federation and the signing of the Declaration on Strategic Partnership between our two countries.

Relations with the United Kingdom, Germany, Japan and France have shown a gratifying consolidation in recent times. As a result of high-level decisions, we have launched a strategic dialogue with France that has produced encouraging results. The Indo-French Forum has also imparted a new dynamism to our engagement with France in the fields of culture, science and technology, and business. I am looking forward to my State visit to France scheduled for April this year.

The Government has continued to engage the United States in a serious dialogue on security, non-proliferation and disarmament issues predicated on India maintaining a credible minimum nuclear deterrent. A significant outcome of this dialogue is the decision to set up a Joint Working Group to deal with cross-border terrorism, which is a menace to the whole world. We expect that President Clinton's visit to India next month will pave the way for a broad-based and multi-dimensional expansion of our bilateral relations.

India reaffirms her commitment to global nuclear disarmament in a time-bound manner on a comprehensive and non-discriminatory basis. While addressing multilateral disarmament initiatives and treaties, the Government will continue to abide by the imperative of preserving India's strategic autonomy.

The growing challenge posed by non-conventional threats, in particular by terrorism to global security, calls for urgent international co-operation and action so that these can be dealt with effectively. We call for the early adoption and implementation of a Comprehensive Convention on

International Terrorism. India shall participate in any global effort to battle this crime against humanity.

Our vision of achieving a higher growth rate is not aimed at benefiting only the rich or the middle-class. On the contrary, the poor are at the centre of all our developmental efforts. We must recognize that we cannot improve the lot of the common man without achieving high rates of growth in the economy. Only an expanding economy can ensure growing employment and rising incomes for all. Unless India's GDP grows at a brisk rate of seven to eight percent a year, there is no way we can banish poverty and underdevelopment. Higher growth alone will ensure that we can mobilize larger and larger resources for the social sector- for education, health, drinking water, sanitation and roads - particularly for those living in the villages and in urban slums. Towards this end, the Government stands committed to implement the social and economic agenda outlined in my last address to both Houses of Parliament.

Honourable Members, we begin the Budget session today, after transacting record legislative business in the last Winter Session of Parliament. Apart from financial business arising out of the General and Railway Budgets, and the statutory requirement of replacing two Ordinances by Bills, we have a large agenda of legislative business relating to the all-round development of our economy and society. The Government is keen to complete this agenda in this very session.

I convey my best wishes to all of you.

JAI HIND.

(Text of the President's Address in Hindi)

माननीय सदस्यगण

वर्ष 2000 में संसद के इस प्रथम सत्र में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं सदस्यों को बधाई देता हूँ और इस सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट तथा विधायी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आप सभी का अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।

पिछले महीने ही भारत ने गणराज्य के रूप में पचास वर्ष पूरे किए। इस प्राचीन सभ्यता के इतिहास में यह एक गौरवमय क्षण था। यह सभ्यता आधुनिक युग में एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उभरी है। हमारे गणराज्य की स्वर्ण जयंती उत्सव व चिंतन दोनों का ही अवसर इसलिए है क्योंकि पिछले 50 वर्ष में हम सबको सफलताओं की खुशियों के साथ-साथ मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उपलब्धियों के साथ-साथ कमियों का भी अनुभव हुआ है।

अगर विश्व भर में लोकतंत्र का प्रसार बीसवीं शताब्दी का प्रमाण चिह्न रहा है तो भारत ने न केवल विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में बल्कि सभी विषमताओं को झेलते हुए उत्साहपूर्वक इसे संभालकर रखने के लिए भी समुचित सम्मान प्राप्त किया है। सम्पूर्ण विश्व की निगाहें भारत की तरफ आशा और प्रत्याशा के साथ उठी हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक महान लोकतांत्रिक संविधान देकर अपने कर्तव्य का पालन किया था। अब यह हमारा उत्तर दायित्व है कि हम अपने लोकतंत्र को प्रत्येक भारतीय के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए एक कारगर साधन के रूप में परिवर्तित करें। जिस प्रकार हमारे राष्ट्रपिता ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमें प्रेरित किया, उसी प्रकार हमें यह सुनिश्चित करना है कि विकास के लाभ सबसे पहले गरीब और कमजोर को मिलें।

भारत ने जिस संविधान को पचास वर्ष पूर्व अंगीकार किया था, उससे लगभग हमारे सभी प्रयोजन पूरे हुए हैं। यह संसदीय लोकतंत्र, पंथ-निरपेक्षता और मूलभूत अधिकारों का एक विश्वसनीय संरक्षक रहा है, जिनकी अभिलाशा हम सभी अपने हृदय में संजोए हुए हैं। इसने दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं को अधिकार देकर तथा हमारी शासन पद्धति को अधिक भागीदारीपूर्वक और प्रगतिशील बनाकर हमारे समाज में लोकतांत्रिक जागरूकता के प्रसार को भी प्रेरित किया है। फिर भी, संविधान के मूल ढांचे और उसकी प्रमुख विशेषताओं के अक्षुण्ण रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि पिछले पचास वर्षों के अनुभव की जांच की जाए जिससे कि संविधान में प्रतिष्ठापित इन आदर्शों को बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सके। इसलिए, सरकार ने व्यापक आधार वाले संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया है। इस आयोग की सिफारिशें संसद के समक्ष रखी जाएंगी जो भारतीय लोकतंत्र में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है।

निःसंदेह, भारत ने पिछले पांच दशकों में अनेक प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की हैं। मानव इतिहास में ऐसा कोई अन्य दृष्टांत नहीं रहा है जहां भिन्न-भिन्न परम्पराओं वाली सौ करोड़ की जनता, मिल-जुल कर रह रही हो व बेहतर जीवन के लिए संघर्षरत हो और उन्हें उनके अधिकारों एवं आज़ादी की छूट हो। बहरहाल, हम केवल इसी से

संतुष्ट नहीं रह सकते। हाल ही में आज़ाद हुए और अनेक विकासशील देशों के अनुभव से पता चलता है कि सभा के लिए चहुंमुखी प्रगति करने के लिए पचास वर्ष एक लम्बा समय है। आज हमारे गणराज्य की आधी शताब्दी बीतने के बाद समय की मांग यही है कि हम अपनी जनता की गरीबी का उन्मूलन करने, निरक्षरता हटाने और अपने सभी साथी नागरिकों के लिए मूलभूत न्यूनतम सेवाएं सुनिश्चित करनेके लिए और अधिक समय न गंवाएं। इस ऐतिहासिक कार्य को पूरा करते समय हमें चाहिए कि हम इसके साथ ही सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करें, महिला-पुरुष के बीच समान न्याय को प्रोत्साहित करें, क्षेत्रीय असंतुलन खत्म करें और गांव एवं शहर में अंतर कम करें।

यदि हमारा एक बड़ा क्षेत्र और जनसंख्या के अधिकांश वर्ग वंचित एवं गरीब रहते हैं, तो भारत वह सुदृढ़ता और खुशहाली प्राप्त नहीं कर सकता जिसकी हम सभी इच्छा करते हैं और जिसके लिए हमारा देश सक्षम है। विकास में सामाजिक एवं क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिए तीव्र आर्थिक वृद्धि एक पूर्वापेक्षा है। आर्थिक वृद्धि को तेज करने के स्पष्ट इरादे के साथ, पिछले दशक के आरम्भ में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की एक ऐतिहासिक आवश्यकता थी। पिछले दशकों में हमारी विकास प्रक्रिया में जो कमियां आई हैं उन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। यह गर्व और संतोष का विषय है कि हमारे देश ने इन सुधारों को सामाजिक अशांति के बिना और प्रायः पूर्ण राजनीतिक सहमति से कार्यान्वित किया है। इन सुधारों से अब विभिन्न क्षेत्रों में वांछित परिणाम मिल रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की सतत वृद्धि दर बढ़ी है। हमारे उद्योग और वित्तीय प्रणाली अधिक मजबूत हुए हैं और उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ी है।

सरकार आर्थिक सुधारों की गति को तेज करने और उनके क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए वचनबद्ध है। साथ ही, हम आर्थिक सुधारों के लाभों को उन क्षेत्रों और समुदायों के पास पहुंचाने के लिए सुविचारित व संगठित प्रयास करेंगे जिनको अभी तक उनका लाभ नहीं मिला है। हो सकता है कि विगत दस वर्षों में भारत के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण में बदलावा हुआ हो परन्तु समानता और सामाजिक न्याय के उद्देश्यों में नहीं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करेंगे कि आर्थिक सुधारों में गरीब और वंचित लोगों की भागीदारी, उनकी वर्तमान भागीदारी की अपेक्षा और अधिक हो। हम अनुभव करते हैं कि विकास प्रक्रिया में लोगों की उत्साहवर्धक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है।

“गौरवमय, खुशहाल भारत का एजेन्डा” में समानता व रोजगार सहित तीव्र विकास के लिए ढांचे की व्यवस्था की गयी है। यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की

सरकार का एक साझा नीतिगत दस्तावेज है। नीतिगत विषयों पर निर्णय लेने के कार्य में तेजी लाने तथा लंबित विधान को पारित करने का सरकार का रिकार्ड यह दर्शाता है कि वह इस एजेन्डा में किए गए वायदों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं। सरकार आर्थिक सुधारों की संगत योजना पर सशक्त कार्यवाही जारी रखेगी। इन सुधारों में कृषि, उद्योग, लोक उद्यम, राजकोषीय समेकन और अन्तरण, कर-सुधार, वित्तीय सेक्टर में सुधार और विदेशी निवेश संबंधी नीतियां शामिल होंगी। मुख्य रूप से इनमें विद्युत, सड़कें, रेल, बन्दरगाह, नागर विमानना, दूरसंचार और पेट्रोलियम जैसे प्रमुख आधारभूत संरचना वाले क्षेत्रों के कार्य के निष्पादन में सुधार संबंधी नीतियां भी शामिल होंगी।

हमारा देश मुख्य रूप से गांवों का देश है और हमारी अधिकांश जनता जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। इसलिए, कृषि के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी, विशेषकर वर्षापोषित और सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्रों में जहां अत्यधिक गरीबी हैं। इसके लिए कृषि में पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था करने तथा अपेक्षाकृत कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में निवेश करने की आवश्यकता होगी। चूंकि हमारी कुल जनशक्ति का दो तिहाई भाग अभी भी कृषि क्षेत्र में कार्यरत है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और अधिक खुशहाली लाने के लिए कृषि-व्यापार सहित, कृषि में अधिक निवेश की व्यवस्था की जाएगी। सरकार शीघ्र ही राष्ट्रीय कृषि नीति को अंतिम रूप देगी जिसमें इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा।

इस समय, भूमि संसाधनों के संरक्षण, विकास और प्रबंध से संबंधित कार्यक्रम केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में चलाए जा रहे हैं। यह अत्यावश्यक है कि एक एकीकृत कार्यप्रणाली तैयार की जाए, जो हमारे दुर्लभ भूमि-संसाधनों के प्रबंध की चुनौतियों का कागर ढंग से सामना करने में सक्षम हो — विशेषकर वे जो सार्वभौमिकरण, उदारीकरण और निजीकरण से उत्पन्न होती हैं। इसलिए, सरकार उन सभी कार्यक्रमों और योजनाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित संस्थागत आधारभूत संरचना को ग्रामीण विकास मंत्रालय में नव-निर्मित भूमि संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन लाएगी।

विशेषकर बेरोजगार युवाओं के लिए स्थायी आधारभूत संरचना परिसम्पत्तियां और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादनकारी मज़दूरी रोजगार पैदा करने के विशिष्ट कार्यक्रमों पर अधिक जोर दिया जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और पुनर्गठित सुनिश्चित रोजगार योजना को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाएगा और उसे ध्यानपूर्वक मानीटर किया जाएगा।

शहरीकरण की प्रक्रिया से शहरों एवं कस्बों में रहने वाले भारतीय लोगों के

अनुपात में तेजी से वृद्धि हुई है। हमारे शहरों में जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ी है, दुर्भाग्य से, शहरी आधारभूत संरचना और नागरिक सुविधाओं में हुई वृद्धि उसके अनुरूप नहीं हो पाई। सरकार इस बात को अच्छी तरह समझती है कि एक नए और पुनरुत्थान के पथ पर अग्रसर भारत के लिए शहरी नवीकरण निर्णायक महत्व रखता है। इसके लिए शहरी रोजगार, आवास निर्माण, परिवहन और अन्य जनोपयोगी सेवाओंसंबंधी नीतियों व कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और नगर प्राधिकरणों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। सरकार भौतिक और सामाजिक आधारभूत संरचना के विकास में संवर्धित सार्वजनिक व निजी निवेश को सुकर बनाएगी जिसमें शहरी गरीब वर्ग के रहन-सहन की स्थितियों को सुधारने पर बल दिया जाएगा। वह अच्छे नगरीय शासन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास करेगी।

हमारे देश का भविष्य हमारे बच्चों और युवाओं पर है। सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में सभी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए सरकार शीघ्र ही बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करेगी जिससे कि उनके चहुंमुखी विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके और उनकी वर्तमान एवं भावी अर्थात् दोनों प्रकार की रचनात्मक शक्तियों को उजागर किया जा सके। खेल एवं युवा कार्य संबंधी सभी मौजूदा कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी और हमारे संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें पुनः क्रियाशील किया जाएगा जिससे कि हमारे युवा वर्ग शारीरिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान को आरंभ करने के लिए एक निर्णय लिया गया है कि जिसका प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि सन 2003 तक 6 से 14 तक क आयु वर्ग का हर बच्चा स्कूल या किसी शिक्षा गारंटी केन्द्र अथवा "बैंक-टू-स्कूल कैम्प" में जाए। हम उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के लिए और ज्यादा प्रसास करेंगे। सरकार प्रयासों को पूरी तरह समाविष्ट करना होगा।

भारत की आधी जनसंख्या महिलाओं की हैं परन्तु हमारे समाज में उनकी स्थिति कमजोर हैं। उन्हें सार्वजनिक जीवने में निर्णय लेने में प्रायः शामिल नहीं किया जाता है। कोई भी देश उस समय तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि उसकी महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा न हो, वे साक्षर न हों और सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं में पुरुषों के साथ बराबर की हिस्सेदार न हों। हमारे संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई है कि पुरुषों व महिलाओं में समानता हो और उनके बीच कोई भेदभाव न हो और हम इस

उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वचनबद्ध हैं। संविधान (85वां संशोधन) विधेयक, 1999 पिछले सत्र के दौरान लोक सभा में पेश किया गया था जिसमें लोकसभा और राज्यों की विधान-सभाओं में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। महिला और बाल विकास विभाग शीघ्र ही महिला अधिकारिता संबंधी एक राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप देगा जिसका उद्देश्य सरकार की विधियों, नीतियों, कार्यक्रमों और बजटीय आबंटनों के मामलों में उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना है। इंदिरा महिला योजना को और प्रभावी बनाया जाएगा तथा उसका विस्तार और 450 प्रखण्डों में किया जाएगा।

विश्व में वृद्ध व्यक्तियों की सर्वाधिक आबादी वाले देशों में भारत भी है। हाल के समय में संयुक्त परिवार प्रथा खत्म होती जा रही है जिससे वृद्ध लोगों की भावनात्मक उपेक्षा हुई है व उनकी देखभाल में कमी आई है। सरकार ने वृद्ध लोगों के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बनाई है तथा हमारे वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है उन समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय वृद्ध जन परिषद् की स्थापना की गई है। एक विशेषज्ञ समिति ने वृद्ध लोगों की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित पेंशन योजना के बारे में एक रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की है। सरकार इसकी जांच कर रही है जिसके बारे में निर्णय शीघ्र लिया जाएगा।

जब मैंने, पिछली बार, 25 अक्तूबर, 1999 को संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया था, उस समय मुझे सरकार के मध्यावधिक आर्थिक एजेन्डा को आकषे समक्ष रखने का अवसर मिला था। तब से, अर्थव्यवस्था में स्पष्ट सुधार का संकेत आर्थिक आंकड़ों में मिलता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान आर्थिक वृद्धि दर लगभग 6 प्रतिशत होने की आशा है। वर्तमान वित्त वर्ष 1999-2000 के दौरान मुद्रा स्फीति भी काफी नियंत्रण में रही है। हमारा विदेश मुद्रा भंडार भी संतोषजनक है जो इस समय 32 बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक है। मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्र में हुए पुनरुत्थान के कारण स्टाक सूचकांक में सामान्यतः बढ़त का रुझान रहा है। इन स्पष्ट आर्थिक क्षमताओं के आधार पर आगे निर्माण करने के लिए हमें इस सुधार प्रक्रिया को और व्यापक व त्वरित करने के लिए इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने मध्यावधिक आर्थिक एजेन्डा को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है। इसकी रूपरेखा मैंने संसद के अपने पिछले संबोधन में प्रस्तुत की थी। मैं उनमें से कुछ मुद्दों का संक्षिप्त रूप से उल्लेख करना चाहूंगा :

क. भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण को सुदृढ़ करने के लिए

- ख. भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2000 प्रख्यापित किया गया। इससे दूरसंचार सेवाओं के त्वरित विकास के रास्ते में आने वाली अनेक बाधाएं दूर हो सकेंगी, निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, और सार्वजनिक एवं निजी आपरेटरों के मध्य एक समान आधार बनाया जा सकेगा। इस विधेयक को संसद के चालू सत्र में पेश किया जाएगा।
- ग. भारतीय तार अधिनियम, 1885 के स्थान पर एक ऐसे नए विधान की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञों का एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और टी. वी. के अभिसरण की घटनाक्रम का उल्लेख हो।
- घ. सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के नाम से सड़क निर्माण का एक वृहद कार्यक्रम 54,000 करोड़ रुपए की लागत पर पहले ही शुरू कर दिया है कि जिसमें स्वर्णिम चौमार्गीय और पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण मार्ग भी शामिल है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस अति आवश्यक राजमार्ग नेटवर्क का कार्यान्वयन शीघ्र हो।
- ङ. सरकार पुनर्संरचना और सुधार की इस प्रक्रिया को विद्युत क्षेत्र में कार्यान्वित कर रही है। जल-विद्युत के विकास पर विशेषतः देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में बल दिया गया है। प्रभावी अंतर-प्रादेशिक विद्युत प्रवाहों को सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय पावर ग्रिड को सुदृढ़ बनाया जाएगा।
- च. पेट्रोलियम क्षेत्र में, अन्वेषण की नई लाइसेंस नीति के अंतर्गत 25 प्रखंड दिए गए हैं जो एक रिकार्ड है। इसके द्वारा घरेलू अन्वेषण प्रयासों को त्वरित किया जा रहा है। इंडिया हाइड्रो कार्बन विजन-2005 संबंधी ग्रुप ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है और सरकार उन्हें कार्यान्वित करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करेगी।
- छ. कोयला खान (राष्ट्रीकरण) अधिनियम, 1973 को संशोधित करने के लिए एक विधेयक संसद के वर्तमान सत्र में पेश किया जाएगा।

इसमें भारतीय कम्पनियों को निजी क्षेत्र में कोयला खनन की अनुमति होगी।

- ज. हवाई अड्डों को दीर्घावधिक लीज पर देकर हवाई अड्डा क्षेत्र में निजी भागीदारी को समर्थ करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कलकत्ता के मौजूदा हवाई अड्डों को दीर्घावधिक लीज आधार पर दिया जाएगा जबकि बंगलूर स्थित एक नए अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निजी क्षेत्र की भागीदारी से ग्रीनफील्ड वेंचर के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे हमारे हवाई अड्डों की आधारभूत संरचना और उनकी कार्य प्रणाली में विश्व स्तरीय सुधार लाने में काफी सहायता मिलेगी।
- झ. सरकार ने निजी क्षेत्र की और ज्यादा भागीदारी से अपने बंदरगाहों के कामकाज में व्यापक सुधार लाने तथा अन्य प्रभावी एवं आधुनिक बंदरगाह सुविधाएं विकसित करने के लिए नए कदम उठाने का भी निर्णय लिया है।
- ञ. ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, विधेयक, 1999 लोकसभा के पिछले सत्र में प्रस्तुत किया गया।
- ट. नए सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु उदीयमान उद्यमियों के लिए 100 करोड़ रुपए का एक राष्ट्रीय उद्यम पूंजी कोष बनाया गया है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियां द्वारा देश से बाहर विदेशी कम्पनियों के अधिग्रहण की अनुमति देने संबंधी दिशा-निर्देशों को उदार बनाया गया है। देश में हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं के विकास की तीव्र करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वारों की स्थापना और ग्रेटर बैंडविड्थ के लिए विदेशी उपग्रहों के इस्तेमाल संबंधी एक उदार नीति बनाई गई। विशेषकर गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में इंटरनेट एवं दूरसंचार सेवाओं के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए और भी उपाय किए जाएंगे।
- ड. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय देश में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए और भी उपाय कर रहा है। इन उपायों में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी व साफ्टवेयर ब्रांड इक्विटी निधि

स्थापित करने का प्रस्ताव, लघु एवं मध्यम उद्यमों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अधिक उपायोग को बढ़ावा देना, ई-कामर्स के क्षेत्र में भारतीय पहल-कदमियों को बढ़ावा देना एवं सूचना-प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाओं व दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रमों की स्थापना करना शामिल है।

- ड. संसद ने अपने पिछले सत्र में बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित कर दिया था। इससे बीमा क्षेत्र में निजी भारतीय कम्पनियां भी भागीदार बन सकेंगी और ग्राहकों को बेहतर सेवा मिलेगी। इसके अतिरिक्त, तीव्र आर्थिक विकास के लिए बड़े पैमाने पर दीर्घकालिक निवेश भी जुटाया जा सके।
- ढ. सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी पद्धति की समीक्षा करके उसे नया रूप दिया है। इससे ध्यानपूर्वक चयन किए गए कुछेक विषयों को छोड़कर, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वतः ही स्वीकृति प्रणाली सुनिश्चित हो सकेगी। इससे अधिक पारदर्शिता आएगी, विलम्ब की संभावनाएं कम हो जाएंगी तथा प्रतिवर्ष, कम से कम 10 बिलियन डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त व्यवस्था तैयार हो जाएगी।
- ण. एक अध्यादेश द्वारा ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है। वह वित्तीय क्षेत्र में किए जा रहे ठोस सुधारों में से एक है। इस अध्यादेश के स्थान पर, अधिनियम बनाने संबंधी विधेयक संसद के वर्तमान सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।
- त. विभिन्न श्रम कानूनों में परिवर्तन सुझाने के लिए दूसरे श्रम आयोग का गठन किया गया है ताकि श्रम कल्याण, अतिरिक्त रोजगार सृजन, उच्चतर निवेश तथा त्वरित औद्योगिक विकास के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

पूरे देश में 1 जनवरी, 2000 से बिक्री कर की समान दर लागू करके कर सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई। ऐसा केन्द्र तथा राज्यों के घनिष्ठ सहयोग से ही संभव हुआ है। करों को और तर्कसंगत बनाने के संबंध में क्रमिक उपाय के रूप में राज्यों ने 1

अप्रैल, 2001 से मूल्यवर्धित पर (वी0 ए0 टी0) प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया है।

थ. संविधि-संग्रह से अनेक पुराने अथवा अनावश्यक कानून और विनियमन हटा दिये गये हैं। यह कार्य विधिक क्षेत्र में तेजी से अति अपेक्षित सुधार करने के दिशा में सरकार के सतत प्रयासों का एक हिस्सा है।]

तथापि, बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा गहन चिंता का विषय बना हुआ है। यह निस्संदेह सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण वृहत आर्थिक प्रबंधन संबंधी समस्या है, जिसका हम सामना कर रहे हैं। घाटे से सरकारी निवेश कम हो जाता है, निजी निवेश में मुश्किलें आने लगती हैं, ब्याज-दरें बढ़ जाती हैं और मुद्रास्फीति का दबाव बनने लगता है। ब्याज अदायगियों का भारत सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत से ज्यादा बना हुआ है, जो केन्द्र सरकार के राजस्व कर में से राज्यों के हिस्से को निकालकर शेष का लगभग दो-तिहाई बैठता है। चूंकि सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज भार बढ़ जाता है, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का विस्तार करने की सरकार की क्षमता सीमित होती जाती है। नॉन-मेरिट वस्तुओं पर सब्सिडी को, जो इस समय बहुत अधिक है, कम करके चरण बद्ध रूप से समाप्त करना होगा। यह इस समय, सकल घरेलू उत्पाद की 11 प्रतिशत है, जो चौंका देने वाली बात है।

अगर बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराते हुए व मुद्रास्फीति पर अंकुश रखते हुए भारत ने त्वरित विकास करते रहना है, तो राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना आवश्यक है। हमें गैर-योजना खर्च की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के प्रयास करने होंगे। इसके लिए, सरकारी खर्च के स्वरूप, सरकार के आकार को कम करने, माल और सेवाओं की आर्थिक लागत की वसूली और सरकारी खर्च में किफायत बरतने संबंधी कठोर निर्णय लेने होंगे विनिवेश और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन संबंधी कार्यक्रम में भी तेजी लाने की आवश्यकता है। कर और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में सुधार लाने के लिए हमारी कर-प्रणाली को नया स्वरूप देना होगा। यदि हम वित्तीय सुदृढ़ता प्राप्त कर लें तो भारत अपनी टिकाऊ मॅक्रों फ्रेमवर्क की बुनियाद पर, आने वाले वर्षों में सही मायने में 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर प्राप्त करने की आशा कर सकता है। यदि इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए त्याग करने पड़ें तो वे अवश्य करने लायक हैं क्योंकि पुनर्संरचना की दीर्घावधिक उपलब्धियों से सभी भारतवासियों को लाभ होगा और वे इस पर आने वाली अस्थायी लागत से कहीं अधिक होंगे।

राज्यों की वित्तीय स्थिति भी काफी चिंताजनक है। राज्य सरकारों के वित्तीय आंकड़ों से पता चला है कि नब्बे के बाद उनकी वित्तीय स्थिति अत्यधिक खराब हुई। वर्ष 1998-99 के आंकड़ों से पता चला कि राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा बहुत अधिक रहा, जो 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बैठता है और यह सकल घरेलू उत्पाद के 4.3 प्रतिशत तक पहुंचा है। यह वास्तव में असहनीय स्थिति हैं। राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति में गिरावट की इस प्रवृत्ति को तत्काल बदलने की आवश्यकता है इसलिए केन्द्रीय सरकार ने नीति में सुधार करने के लिए राज्यों के परामर्श से आवश्यक उपाय करने आरम्भ किये हैं। इन उपायों का उद्देश्य राजकोषीय स्थिति का सहीकरण व समेकन तथा उनकी इस स्थिति को दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाना है।

सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के तीव्र आर्थिक विकास के लिए वचनबद्ध है। पूर्वोत्तर परिषद का विस्तार किया जा रहा है ताकि उसमें सिक्किम को शामिल किया जा सके और इन राज्यों के त्वरित विकास के लिए हम इसे एक प्रभावी एजेंसी बनाने का प्रयास करेंगे। पिछले माह शिलांग में हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के साथ विकास और सुरक्षा मामलों की समीक्षा की थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। उन पूर्वोत्तर राज्यों को, जो उग्रवाद और समाजविरोधी गतिविधियों से प्रभावित हैं, सभी सहायता मुहैया कराई जा रही है।

सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए 10,200 करोड़ रुपए से अधिक एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इस योजना में उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक नए कार्यक्रम शामिल हैं। इससे इस क्षेत्र में आधारभूत व्यवस्था, विशेष यप से विद्युत, सड़कों, रेलों, हवाई अड्डों और दूरसंचार के विकास की गति में अधिक वृद्धि आएगी। इस पहल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्थानीय लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करना है। इस क्षेत्र के विकास के लिए पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को भी महत्व देना होगा।

अक्तूबर के अंत में, उड़ीसा में आए भयंकर समुद्री तूफान से हजारों लोगों को जान के साथ धोना पड़ा और राज्य की जनसंख्या के एक बड़े भाग का सामाजिक और आर्थिक जन-जीवन तहस-नहस हो गया। प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास के लिए सरकार के प्रयासों में मदद करने के लिए, पूरे देश ने उदारतापूर्वक योगदान दिया। हम सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों, मौसम-विज्ञान विभाग, रेल, बन्दरगाह प्राधिकारियों और अन्य सरकारी विभागों तथा भारतीय खाद्य निगम जैसी एजेंसियों, राज्य

सरकारों के साथ-साथ गैर-सरकारी और धर्मार्थ संगठनों द्वारा भेजे गए राहत दलों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए, सरकार ने प्राकृतिक आपदा प्रबंध योजना तैयार करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। यह प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और उन्हें कम करने के लिए मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करेगी। यह संगठनात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय सुझाएगी और राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर प्राकृतिक आपदा प्रबंध हेतु एक व्यापक मॉडल योजना तैयार करेगी।

विश्व परिप्रेक्ष्य में, हम नियमानुसार, गैर-विभेदकारी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की स्थापना के लिए कार्य करते रहेंगे जो सभी देशों के लिए उपयुक्त और समान हो। “गैट” और विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य होने के नाते, भारत ने पिछली सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं और विश्व व्यापार संगठन की तीनों मंत्रिस्तरीय बैठकों में सक्रियता रूप से भाग लिया है। भारत ने व्यापार संबंधों में अधिक समानता और एकरूपता लाने एवं असंगत विषयों को व्यापार से न जोड़ने के अपने मिशन को हमेशा सतत रूप से आगे बढ़ाया है। यदि गरीबों के हितों की अनदेखी की जाती है तो आर्थिक एकीकरण नहीं किया जा सकता। विकासशील देश होने के नाते भारत इस वास्तविकता से अन्य सदस्य देशों को अवगत करा रहा है। हम ऊर्ध्व दौरा की चर्चाओं में लिए गए निर्णयों के उचित कार्यान्वयन के लिए निरन्तर प्रयास करते रहेंगे।

पाकिस्तान में सेना द्वारा सत्ता हथियाने के बाद के महीनों में, पाकिस्तान समर्थित सीमापार आतंकवाद बढ़ा है, जिसका निशाना मुख्य रूप से हमारे सुरक्षा बल हैं। सीमापार से पाकिस्तानी गोलाबारी में भी वृद्धि हुई है। इन गतिविधियों से हमारे सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चौकसी बरते जाने की आवश्यकता और स्पष्ट हो गई है। हालांकि आतंकवादी हमलों का खतरा ऐसा है जिसका असर भारत के सभी नागरिकों पर पड़ता है। हमें, अपने देश में विरुद्ध निरन्तर चल रहे आतंकवादी अभियान को देखते हुए, एकजुट होकर सुरक्षा के प्रति और अधिक सजग रहना चाहिए। अपनी ओर से, सरकार देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा के सभी खतरों के प्रति पूरी तरह सतर्क है। हम अपनी राष्ट्रीय अखण्डता और अपनी खुली, लोकतांत्रिक जीवन-शैली के प्रति किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं।

मैं अपनी सेना के बहादुर जवानों और अफसरों का अभिनन्दन करता हूँ, जो अपने परिवारों और प्रियजनों से कहीं दूर कारगिल और अन्य क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा पर सजग प्रहरी की भांति खड़े हैं। यह हमारी सेनाओं के अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और निष्ठा का प्रतीक है कि उन्होंने ने शून्य से 40 डिग्री सेल्सियस और उससे भी कम, जमा

देने वाले तापमान को सहन करते हुए बर्फ से ढकी चोटियों पर जोखिम उठाकर पहरा दिया है। ये हमारे जवानों का साहस और कौशल ही है जिसकी वजह से हमारी सीमाएं शत्रु-सेनाओं से सुरक्षित हैं।

सरकार द्वारा गठित सुब्रह्मण्यम समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति का गठन उन घटनाओं व परिस्थितियों की जांच करने के लिए किया गया था जो कारगिल और नियंत्रण रेखा के अन्य हिस्सों में पाकिस्तान की सशस्त्र घुसपैठ की पृष्ठभूमि में थी। इस रिपोर्ट को इस सत्र के दौरान संसद में रखा जाएगा। सरकार समिति की सिफारिशों की गहराई से जांच करने के बाद सभी आवश्यक अनुवर्ती उपाय करने के लिए वचनबद्ध है।

हमारे सैनिकों का नाथ देने में हमारे रक्षा-वैज्ञानिकों और रक्षा-उत्पादन की इकाइयों का महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि जब मैंने पिछली बार संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया था, उसके बाद से हमारे रक्षा-वैज्ञानिकों ने अपनी उपलब्धियों में दो और प्रमुख सफलताएं हासिल की हैं। कम दूरी पर मार करने वाली, शीघ्रता से प्रतिक्रिया करने वाली और जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल, त्रिशूल का सफल परीक्षण किया गया है। रिमोट द्वारा नियंत्रित निशांत का भी सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। हमारी रक्षा-उत्पादन इकाइयों ने सिद्ध कर दिया है कि उनमें अत्यन्त जटिल एवं प्रभावी सुरक्षा उपकरणों का उत्पादन करने की क्षमता है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के पहले नौ महीनों में आयुधशालाओं में उत्पादन 33 प्रतिशत अधिक हुआ है।

पाकिस्तान-समर्थित आतंकवादी एवं अलगाववादी गतिविधियों से प्रभावित कुछेक क्षेत्र को छोड़कर, देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक रही है। जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हिंसा ही घटनाएं सर्वाधिक देखी गई हैं- विशेष रूप से कारगिल में पाकिस्तान की हार और इस्लामाबाद में सेना द्वारा सत्ता हथियाने के बाद। केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों ने पाकिस्तानी सहायता प्राप्त आतंकवादियों और भाड़े के विदेशी सैनिकों द्वारा खड़ी की गई चुनौती का दृढ़तापूर्वक सामना किया है। हम जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी हिंसा का मुकाबला करने के लिए अपनी चहुंमुखी नीति जारी रखे हुए हैं, जिसके अंतर्गत लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गहन बनाना, आर्थिक विकास तेज करना, भाड़ों के विदेशी सैनिकों और आतंकवादियों को अलग-थलग करना और उन्हें समाप्त करने के लिए एक सकरात्मक भूमिका निभाना शामिल है। जम्मू-कश्मीर पुलिस को सुदृढ़ बनाने और उकना आधुनिकीकरण करने के अलावा, सरकार राज्य के सुरक्षा-संबंधी खर्च की क्षतिपूर्ति कर रही एवं सामान्य योजना सहायता के

अतिरिक्त, और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। मैं, जम्मू-कश्मीर और देश के कुछ अन्य भागों में आतंकवाद और उग्रवाद का सामना करने में अपनी सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और पुलिसकर्मियों के बहुमूल्य योगदान की सराहना करता हूँ।

सरकार हमारे देश के पंथनिरपेक्ष लोकाचारों को बनाए रखने तथा उन्हें और सुदृढ़ बनाने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है ? पिछले कुछ वर्षों में, देश में साम्प्रदायिक सद्भावना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। पिछले दो वर्ष साम्प्रदायिक हिंसा से प्रायः मुक्त रहे। वर्ष 1999 में, इसमें और कमी आई। परिणामस्वरूप, साम्प्रदायिक घटनाओं में 10 प्रतिशत तक, मृतकों की संख्या में 32 प्रतिशत तक और घायलों की संख्या में 11 प्रतिशत तक की कमी देखने में आई है।

सरकार उत्तरांचल, वनांचल तथा छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के अपने वचन पर करयम है। इस उद्देश्य के लिए विधेयक संबंधित राज्य विधानसभाओं को उनके विचार जानने के लिए भेजे जा रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय परिषद् का पुनर्गठन किया गया है। सरकार, विगत समय में इसके कामकाज के अनुभव के आधार पर, इसे केन्द्र तथा राज्य सरकारों एवं विभिन्न राज्य सरकारों के मध्य सांमंजस्य बढ़ाने वाला एक प्रभावी मंच बनाएगी।

हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान, आपदा चेतावनी तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण तंत्र स्थापित करने की दिशा में अग्रसार है। भारत ने अपने दूरवर्ती प्रतिसंवेदी उपग्रहों को अपेक्षित ध्रुवीय सन-सिनक्रोनस कक्षा में उपग्रह छोड़ने वाले यान विकसित करने के पथ पर अग्रसर हैं। इनसेट तंत्र विश्व के सबसे बड़े घरेलू उपग्रह तंत्रों में से एक है तथा इसी श्रृंखला का अगला उपग्रह, इनसेट-3 बी छोड़े जाने के लिए तैयार है। मार्च-अप्रैल, 2000 में इसको शुरू करने का कार्यक्रम है।

सरकार जनकल्याण हेतु शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग की नीति को जारी रखे हुए है। सभी नाभिकीय संयंत्र सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं तथा उनका औसत क्षमता घटक 75 प्रतिशत से बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया है। कर्नाटक में कैगा पर स्थित भारत का 11वां नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर 21 सितम्बर, 1999 को प्रथम क्रांतिक स्तर पर पहुंच गया जिसे ग्रिड से जोड़ दिया गया है। रावतभाटा, राजस्थान में स्थित 12वां नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर 24 दिसम्बर, 1999 को प्रथम क्रांतिक स्तर पर पहुंच गया है।

सरकार राष्ट्रीय विकास तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का समर्थन करने के लिए पूर्णतः कृतसंकल्प है। किन्तु गम्भीर चिन्ता का विषय यह है कि पर्याप्त संख्या में युवा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र को जीविका के रूप में नहीं अपना रहे। इस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। अपने उच्च प्रतिभा सम्पन्न युवाओं के लिए एक आकर्षक कैरियर सुनिश्चित करके हम इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए वचनबद्ध हैं जिससे कि वे भारत में रहकर काम करते हुए विश्वस्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी का विकास कर सकें।

सरकार तीव्र गति से इलेक्ट्रॉनिक शासन पद्धति की ओर अग्रसर होने के लिए भी वचनबद्ध है जिससे नागरिकों व सरकार में बेहतर तालमेल तथा बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चिता हो सके। सरकार ने भारतीय भाषाओं में जनप्रयोग के लिए साफ्टवेयर विकसित व प्रोत्साहित करने के प्रयास सघन कर दिए हैं ताकि कम्प्यूटरों की उपलब्धता और उनके प्रयोग को बढ़ाया जा सके। मुझे खुशी है कि अनेक राज्य-सरकारों ने भी सूचना-प्रौद्योगिकी क्रांति के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के केन्द्र सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत की गुटनिरपेक्षता और शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की विदेश नीति आज के बहु-ध्रुवीय विश्व के लिए प्रासंगिक है। यह हमारे अत्यावश्यक हितों की सुरक्षा और राष्ट्रीय आदर्शों को प्रोत्साहित करने वाले सिद्धान्तों पर आधारित है। अपने पड़ोसी देशों-नेपाल तथा बंगलादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव तथा भूटान के साथ अपने मित्रतापूर्ण घनिष्ठ व्यापक तथा रचानात्मक संबंधों को निरंतर बढ़ाने व घनिष्ठ करने की अपनी नीति को सरकार जारी रखे हुए है। इन देशों के साथ नियमित विचार-विमर्श से आपसी संबंधों को और मजबूत करने तथा एक दूसरे के हितों, अतिसंवेदनशील मुद्दों तथा सरोकारों का पारम्परिक मूल्यांकन करने में बल मिला है।

लेकिन, पाकिस्तान ने भारत विरोधी अपने शत्रुतापूर्ण प्रचार तथा सीमा पार से आतंकवाद को उकसाने व उसे सहायता देने की अपनी नीति को समाप्त करने के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई है। हाल ही में काठमांडू से हुए इंडियन एयरलाइंस के लिए विमान का अपहरण आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान की भूमिका को रेखांकित करता है। सरकार ने इसमें अपहरणकर्ताओं के पाकिस्तानी मूल के होने तथा काठमांडू में नियुक्त पाकिस्तानी अधिकारियों का हाथ होने के पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। हम सचमुच आशा करते हैं कि पाकिस्तान भारत के प्रति शत्रुता की इस नीति को बदलेगा ताकि सामान्य सम्बन्ध पुनः स्थापित हो सकें।

अफगानिस्तान में अमन और चैन की बहाली होना हमारे क्षेत्र में स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण है। व्यापक-आतंकवाद को रोकने के लिए भी यह आवश्यक है। सबसे बढ़कर, यह अफगानिस्तान की जनता के लिए आवश्यक है, जिनके साथ हमारे वर्षों पुराने संबंध हैं। अफगानिस्तान में शांति की बहाली केवल तभी हो सकती है जब काबूल में व्यापक जनाधार वाली सरकार का गठन हो, जिसमें सभी जातियों का प्रतिनिधित्व हो तथा पाकिस्तानी हस्तक्षेप समाप्त हो।

हम मध्य एशिया पश्चिम एशिया, खाड़ी के देशों तथा एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के अपने विस्तारित पड़ोस के साथ संबंधों को और घनिष्ठ व व्यापक बनाते रहेंगे। हम अपने एशियाई पड़ोसी चीन के साथ अपने सम्बन्धों की कदर करते हैं। हम चीन के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाएंगे। इस संदर्भ में मैं इस वर्ष मई में होने वाली चीन की अपनी राजकीय यात्रा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हम आशा करते हैं कि मध्य पूर्व शान्ति प्रक्रिया से सन्तोषजनक निष्कर्ष निकलेगा। इज़राइल के साथ हमारे संबंध बढ़ते रहेंगे। भारत यूरोपीय संघ के साथ-साथ पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भी हाल के वर्षों में और प्रगाढ़ हुए हैं। हम अफ्रीकी, लेटिन अमरीकी तथा कैरोबियन देशों के साथ अपने मित्रता संबंधों को और सुदृढ़ करेंगे।

भारत, सोवियत संघ के साथ सामरिक भागीदारी में अपने घनिष्ठ और समय की कसौटी पर खतरे संबंधों के दृढ़ होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस सोवियत संघ के राष्ट्रपति की भारत-यात्रा और दोनों देशों के बीच सामरिक भागीदारी की उद्घोषणा पर हस्ताक्षर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

हाल ही के वर्षों में, युनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और फ्रांस के साथ हमारे संबंधों में संतोषजनक सुदृढता आई है। उच्च स्तर पर लिए गए निर्णयों के फलस्वरूप, फ्रांस के साथ सामरिक महत्व की चर्चा आरम्भ हुई हैं जिसके उत्साहप्रद परिणाम सामने आए हैं। इंडो-फ्रेंच फोरम ने भी संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्रों में फ्रांस के साथ हमारे संबंधों में नई ऊर्जा का संचार किया है। इस वर्ष अप्रैल में होने वाली फ्रांस की अपनी राजकीय यात्रा की मुझे उत्सुकता से प्रतीक्षा है।

सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से परमाणु अस्त्रों की एक विश्वसनीय व न्यूनतम मात्रा को बनाए रखते हुए भारत से संबद्ध सुरक्षा, परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण जैसे

मुद्दों पर अमरीका से गम्भीर वार्तालाप जारी रखा है। इस बातचीत का एक महत्वपूर्ण परिणाम संयुक्त कार्य दल की स्थापना का निर्णय है जो सीमापार से होने वाले आतंकवाद से निपटेगा। यह आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। हमें आशा है कि अगले महीने राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत-यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों को एक विस्तृत आधार प्रदान करेगी और उनके बहुआयामी विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेगी।

भारत एक व्यापक एवं भेदभाव रहित आधार पर समयबद्ध तरीके से नाभिकीय हथियारों से मुक्त विश्व के लिए अपनी वचनबद्धता को पुनः दोहराता है। बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण के लिए पहल-कदमी करते हुए संधियां निष्पादित करते समय, सरकार भारत की सामरिक स्वायत्तता अक्षुण्ण रखने की अनिवार्यता का पालन करती रहेगी।

भूमंडलीय सुरक्षा के लिए बढ़ते हुए गैर-परम्परागत खतरों, विशेषतया अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के कारण बढ़ती चुनौतियों के लिए तत्काल अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कार्यवाही की आवश्यकता है ताकि इनसे प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। हम अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक समझौते को शीघ्र स्वीकार करने एवं उसे अमल में लाने का आह्वान करते हैं। भारत मानवता के विरुद्ध इस अपराध से लड़ने के किसी भी भूमंडलीय प्रयास में योगदान करेगा।

उच्च वृद्धि दर की प्राप्ति के संबंध में हमारी सोच केवल अमीर या मध्यवर्ग को लाभ पहुंचाने पर ही केन्द्रित नहीं है, बल्कि निर्धन वर्ग ही हमारे सभी विकास संबंधी प्रयासों का केन्द्र बिन्दु है। हमें यह मानना पड़ेगा कि हम अर्थव्यवस्था में उच्च वृद्धि दर प्राप्त किए बिना, आम आदमी की हालत में सुधार नहीं ला सकते। अर्थव्यवस्था के विस्तार से ही रोजगार के बढ़ते अवसर और सभी के लिए बढ़ती आय सुनिश्चित हो सकती हैं। जब तक भारत का सकल घरेलू उत्पाद प्रतिवर्ष 7 से 8 प्रतिशत की त्वरित दर से नहीं बढ़ता है, तब तक गरीबी और पिछड़ेपन से छुटकारा मिलने की कोई संभावना नहीं है। उच्च वृद्धि दर प्राप्त करके ही हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सफाई और सड़कों जैसे सामाजिक क्षेत्र के लिए अधिकाधिक संसाधन जुटा सकते हैं, विशेष तौर पर गांव और शहरी गंदी बस्ती के निवासियों के लिए। इस उद्देश्य के लिए, संसद के दोनों सदनों के सम्मुख मेरे पिछले संबोधन में रेखांकित सामाजिक एवं आर्थिक एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

माननीय सदस्य, संसद के पिछले शीतकालीन सत्र में वैधानिक कार्य के निष्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के बाद, आज हम बजट सत्र प्रारम्भ करते हैं। आम बजट एवं बजट से संबंधित वित्तीय कार्य और दो अध्यादेशों को विधेयक बनाने की वैधानिक आवश्यकता के अलावा, हमारी अर्थव्यवस्था व समाज के सर्वांगीण

विकास से संबंधित विधायी कार्य का एक व्यापक एजेंडा हमारे समक्ष है। सरकार इस एजेंडा को इसी सत्र में पूर्ण करने के लिए तत्पर है।

आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

जयहिन्द

OBITUARY REFERENCES

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I refer with profound sorrow to the passing away of Dr. Shanker Dayal Sharma, former Chairman of this House, who rose to become the President of the Indian Republic. He breathed his last, after a prolonged illness, on 26th December, 1999, at the age of 81.

Dr. Sharma participated in the freedom struggle and suffered incarcerations and brutalities of the British colonial empire. In free India, his political career coincided with the country's progress as a proud and confident nation-state. Even while immersed in the rough and tumble of Indian politics and being a witness to some of its historical turns, Dr. Sharma maintained his interest in scholastic pursuit. He succeeded in bringing into his work, as a scholar-statesman, his deep insight into Indian culture and philosophy and deftly honed them to promote India's journey to become a great nation.

Born in August 1918, at Bhopal, Dr. Sharma had his initial university education at St. John's College, Agra and at the Allahabad and Lucknow Universities. He studied at reputed Western institutions of education such as the Cambridge and London Universities, the Harvard Law School, and Zurich and Paris Universities. Study of law, history, politics and culture were closest to Dr. Sharma's heart. He was a teacher of law at the Lucknow and Cambridge Universities. Several Indian and foreign universities conferred on him the doctorate (Honoris Causa) and honoured themselves by inviting him to be their visiting professor.

Having gone through the baptism of fire of Gandhian Revolution in pre-independent India, Dr. Sharma's ethos in life found reflected in his politics and legislative career. He was a Member of the erstwhile Bhopal Legislative Assembly from 1952 to 56 and had the distinction of becoming the youngest Chief Minister of that State during the same period. His honesty and commitment were appreciated by all who knew him and his work.